न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 04/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
सत्यभान सिह देवडा पुत्र नरपत सिह देवडा उम्र 34 वर्ष निवासी गांव पोस्ट सिन्दरथ तहसील सिरोही जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्ध अधिनियम 1959 विरूद्व आदेश क्रमांक प.21 (1)()न्याय/2021/ 4330 दिनांक 19–8–2021 जो जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित कर शस्त्र 12 बोर गन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के आवेदन को निरस्त कर दिया ।

उपस्थितीः––

1. श्री ललित परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 8 मार्च, 2022,

अपीलान्ट ने यह अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा पारित आदेश क्रमांक प.21 (1) () न्याय/2021/ 4330 दिनांक 19–8–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उपस्थित अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के समक्ष नया शस्त्र 12 बोर गन लेने हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही ने अपीलांट को सुने बिना तथा अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकतरफा नोन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

8/3/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे यही उल्लेख करते हुए कि संबंधित अधिकारियो से जांच कराई जाने पर आवेदन को किसी प्रकार का कोई खतरा प्रतीत नही होता है, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के आवेदन को निरस्त करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इस संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि खतरा बोल कर नही आता है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही ने आयुद्ध अधिनियम की धारा 13 एवं 14 का परीक्षण किये बिना आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपीलांट के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पन्न कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि जिला कलेक्टर सिरोही के कार्यालय से तहसीलदार सिरोही, उप वन संरक्षक सिरोही एवं जिला पुलिस अधीक्षक सिरोही से मेरे शस्त्र अनुज्ञा आवेदन पर जांच रिपोर्ट मांगी गई। जिस पर उप वन सरंक्षक सिरोही एवं तहसीलदार सिरोही ने अपीलांट के पक्ष मे सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई परंतु पुलिस अधीक्षक सिरोही की ओर से जांच रिपोर्टे मे यह उल्लेख कर दिया कि प्रार्थी स्वास्थ्य विभाग मे मंत्रालयिक कर्मचारी है तथा साथ मे खेती का कार्य भी करता है, प्रथमदृश्टियां आवेदन को किसी प्रकार का खतरा होना नही पाया गया इसलिए आवेदन को 12 बोर गन का अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा नही की गई, जिसको आधार मानकर अपीलांट का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट स्वास्थ्य विभाग मे केवल संविदा कर्मी है तथा मूल रूप से अपीलांट खेती का कार्य ही करता है जिससे ही अपीलांट के परिवार का जीविकोपार्जन होता है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि जब पुलिस अधीक्षक सिरोही ने अपनी रिपोर्ट मे यह अंकित किया है कि अपीलांट खेती का कार्य करता है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को कई बार रात के समय अकेले खेती के कार्य से सुनसान मार्गो एवं अन्य खेतो के मध्य से अकेले धनराशि के साथ आना जाना पडता है तथा ऐसे सुनसान मार्गो पर आये दिन लूट पाट चोरी एवं अन्य आपराधिक घटनाएं कारित होती रहती है, ऐसी स्थिति मे अपीलांट कभी भी किसी भी खतरे मे पड सकता है और अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि खेतो मे पक्की फसल कटी हुई पडी रहती है जिसकी देखभाल एवं सुरक्षा के लिए भी अपीलांट को देर राज खेत मे ही रहना पडता है, ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी को स्वयं की सुरक्षा एवं आत्म रक्षा के लिए शस्त्र की नितांत आवश्यकता होते हुए जिला कलेक्टर सिरोही ने गुणावगुण एवं वास्तविकता से परे जाकर सरसरी तौर पर अपीलांट का आयुद्ध लाईसेंस के लिए आवेदनको निरस्त कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

3/3/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 2013 एस.सी.सी. आनलाईन डेल 3762, 2017 (4) महाराश्ट्र एल.जे पेज 619 तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर एस.बी.सिविल रिट पीटी.संख्या 13587/2018 अनवान आरीफ मोहम्मद सिलावट बनाम स्टेट एवं अन्य मे माननीय जस्टिस पुष्पेन्द्र सिह भाटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–11–2021 की प्रति प्रस्तुत की तथा अंत मे उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अपीलांट के पक्ष मे आयुद्ध अनुज्ञा पत्र जारी करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–8–2021 को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपना मुख्य धन्धा खेती का बताते हुए अपनी आत्मरक्षा के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे 12 बोर गन के लाईसेन्स के लिए आवेदन किया जबकि अपीलांट के आवेदन मे अपीलांट स्वयं ने यह स्वीकारा है कि उसके स्वयं के नाम से एम.एल.गन का एक अनुज्ञा पत्र जारी किया हुआ है इसलिए पृथक से 12 बोर गन का अनुज्ञा पत्र जारी करने की आवश्यकता नही है,तथा अधीनस्थ न्यायालय मे पुलिस अधीक्षक सिरोही कार्यालय की रिपोर्ट मे अपीलांट के कोई जान का खतरा होना नही बताया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही के आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सिरोही के कार्यालय से प्राप्त (अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने बाबत) मूल पत्रावली एवं उसमे सम्पन्न कार्यवाही एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं जाचं रिपोट्स आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया।

अपीलांट की ओर से अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सिरोही के कार्यालय मे आत्म रक्षा के लिए एन.पी.12 बोर गन के लाईसेंन्स जारी करने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ कार्यालय जिला कलेक्टर सिरोही मे अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी केरने के संबंध मे पत्रावली संधारित की जाकर अपीलांट के आवेदन पत्र के कम मे उनके कार्यालय से पुलिस अधीक्षक सिरोही, से आयुद्य अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत रिपोर्ट तलब की गई एवं उप वन सरंक्षक सिरोही तथा तहसीलदार सिरोही से भी आवेदन को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध मे जांच रिपोर्ट तलब की जाने पर तहसीलदार सिरोही एवं उप वन सरंक्षक सिराही के कार्यालय से आवेदक के पक्ष मे सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होना तथा पुलिस अधीक्षक सिरोही के कार्यालय की रिपोर्ट मे "प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा के रेकर्ड अनुसार कोई पकरण दर्ज नही होना बताया तथा प्रार्थी स्वास्थ्य विभाग मे मंत्रालयिक कर्मचारी है, साथ मे खेती का काम करता है, प्रार्थी ने खेती की सुरक्षा एवं आत्मरक्षा हेतु नवीन हथियार 12 बोर गन का अनुज्ञापत्र प्राप्त करने का कारण

8/3/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

बताया है जबकि प्रथमदृष्ट्यिां आवेदक को किसी प्रकार से खतरा नही होना पाया गया । लिहाजा प्रार्थी को 12 बोर गन का अनुज्ञापत्र जारी करने की अनुशंषा नही की जाती है ।"

जिला कलेक्टर सिरोही ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक को सुनवाई का अवसर एवं उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश कमांक प.21 (1)न्याय/2021/ 4330 दिनाक 19–8–2021 के द्वारा आवेदक का शस्त्र कय करने हेतु अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को केवल यह उल्लेख करते हुए कि निरस्त कर दिया कि आवेदक को किसी प्रकार का कोई खतरा होना प्रतीत नही होता है, जो पृथमदृष्ट्यिां समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश कमांक प.21 (1)न्याय/2021/ 4330 दिनाक 19–8–2021 निरस्त कर प्रकरण जिला कलेक्टर सिरोही को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के 12 बोर गन अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुनः विस्तृत जांच करवाकर तथा जांच उपरांत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनाक 8/3/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

8/3/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर